

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 154.1	कार्यकारी समिति की 153वीं बैठक दिनांक 19.07.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 153वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की आगामी बैठक में पुष्टि किये जाने एवं आगामी बैठक में क्रियान्विति रिपोर्ट से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।		
2 154.2	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-537, के नियतिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-537 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
3 154.3	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-460, के नियतिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-460 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
4 154.4	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-265, के नियतिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-265 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
5 154.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिवारं तहसील जयपुर के खसरा नं. 757/2 रकबा 0.14 बिस्वा अर्थात् 1766.34 वर्गमीटर में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 86.40 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 1679.94 वर्गमीटर भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती विमला देवी अग्रवाल)	ग्राम सिवारं तहसील जयपुर के खसरा नं. 757/2 रकबा 0.14 बिस्वा अर्थात् 1766.34 वर्गमीटर में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 86.40 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 1679.94 वर्गमीटर भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श पश्चात् राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.10 एवं दिनांक 07.05.10 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक ईकाई का भू-उपान्तरण की अनुज्ञाता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
6 154.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम आमेर, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 1174/1 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 1175 रकबा 0.11 हैक्ट. किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. के.के. एग्रीकल्चर फार्मस जरिये पार्टनर ओमप्रकाश मित्तल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम आमेर, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 1174/1 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 1175 रकबा 0.11 हैक्ट. किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्ट. भूमि में से प्रस्तावित 160 फीट सड़क सीमा में आने वाली 260.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 2768.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

र.सं.	विषय	वैठक में लिखे गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7 154.7	ग्राम अचरावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 389/629 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 403 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 404 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 384 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 385/1 रकबा 0.40 हैक्ट. ख.नं. 387 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 411 रकबा 0.06 ख.नं. 412 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 400 रकबा 0.61 हैक्ट. ख.नं. 377/1 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 378 रकबा 0.22 हैक्ट. ख.नं. 389/1 रकबा 0.38 हैक्ट. ख.नं. 401/1 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 402/1 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 14 रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि में से रिंग रोड के सहारे 60 फीट सडक सीमा में आने वाली 6790.47 व.ग. (5677.65 व.मी.) भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 30405.13 व.ग. (25422.34 व.मी.) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (तकनीकी शिक्षण संस्थान) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (संकल्प फाउण्डेशन जरिये ट्रस्टी श्री विष्णु कुमार गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम अचरावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 389/629 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 403 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 404 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 384 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 385/1 रकबा 0.40 हैक्ट. ख.नं. 387 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 411 रकबा 0.06 ख.नं. 412 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 400 रकबा 0.61 हैक्ट. ख.नं. 377/1 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 378 रकबा 0.22 हैक्ट. ख.नं. 389/1 रकबा 0.38 हैक्ट. ख.नं. 401/1 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 402/1 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 14 रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि में से रिंग रोड के सहारे 60 फीट सडक सीमा में आने वाली 6790.47 व.ग. (5677.65 व.मी.) भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 30405.13 व.ग. (25422.34 व.मी.) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (तकनीकी शिक्षण संस्थान) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
8 154.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम फतेहपुरा वास वाटिका तहसील चाकसू के खसरा नं. 765 रकबा 0.61 हैक्ट. ख.नं. 766 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 767 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 768 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 769 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 764 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 763 रकबा 1.08 हैक्ट. ख.नं. 770 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 771 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 772 रकबा 0.88 हैक्ट. ख.नं. 773 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 774 रकबा 0.44 हैक्ट. ख.नं. 788 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 13 कुल रकबा 5.17 हैक्ट. अर्थात् 51700 व.मी. में से 18 मीटर चौड़ी सडक (जो पूर्व में इस भूमि के साथ लगती हुई ख.नं. 807/1, 781 व 775 में से प्रस्तावित की गई थी को मिलाते हुये) में निहित होने वाली 1411.56 वर्गमीटर को छोड़कर शेष 50288.44 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पोद्दार ट्रस्ट जरिये आनंद पोद्दार मैनेजिंग ट्रस्टी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम फतेहपुरा वास वाटिका तहसील चाकसू के खसरा नं. 765 रकबा 0.61 हैक्ट. ख.नं. 766 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 767 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 768 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 769 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 764 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 763 रकबा 1.08 हैक्ट. ख.नं. 770 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 771 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 772 रकबा 0.88 हैक्ट. ख.नं. 773 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 774 रकबा 0.44 हैक्ट. ख.नं. 788 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 13 कुल रकबा 5.17 हैक्ट. अर्थात् 51700 व.मी. में से 18 मीटर चौड़ी सडक (जो पूर्व में इस भूमि के साथ लगती हुई ख.नं. 807/1, 781 व 775 में से प्रस्तावित की गई थी को मिलाते हुये) में निहित होने वाली 1411.56 वर्गमीटर को छोड़कर शेष 50288.44 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9 154.9	<p>जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर के ख.नं. 263 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 264 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 265 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 266 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 267 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 269 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 284/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 285/1 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 293/1 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 294/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 251/1 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 256 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 257/1 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 275 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 276 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 280 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 251/3 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 252/1 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 255/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 257/2 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 258 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 270 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 274 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 286 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 287 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 288/2 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 289 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 292 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 295 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 296 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 298/1 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 290 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 291 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 297 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 298/2 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 288/1 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 41 कुल रकबा 7.41 हैक्ट. भूमि में से कमशः 60 मीटर एवं 18 मीटर सडक सीमा में आने वाली 3276.00 वर्गमीटर एवं 1490.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 69334.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रोशीना चेरिटेबल ट्रस्ट)</p>	<p>विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर के ख.नं. 263 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 264 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 265 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 266 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 267 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 269 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 284/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 285/1 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 293/1 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 294/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 251/1 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 256 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 257/1 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 275 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 276 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 280 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 251/3 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 252/1 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 255/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 257/2 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 258 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 270 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 274 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 286 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 287 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 288/2 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 289 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 292 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 295 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 296 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 298/1 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 290 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 291 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 297 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 298/2 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 288/1 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 41 कुल रकबा 7.41 हैक्ट. भूमि में से कमशः 60 मीटर एवं 18 मीटर सडक सीमा में आने वाली 3276.00 वर्गमीटर एवं 1490.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 69334.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।</p>	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	पालना रिपोर्ट

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
10 154.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 4 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 2/1 रकबा 0.85 हैक्ट. ख. नं. 3/846/1 रकबा 0.31 हैक्ट. किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्ट. एवं ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 342 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 346 रकबा 0.98 हैक्ट. ख.नं. 346/663 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्ट. दोनो ग्रामो की कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 हैक्ट. (पूर्व में जारी अधिसूचना 25 (3) क्रमांक जविप्रा/उपा-11/09/ डी-7630 दिनांक 05.10.09 में वर्णित खसरो के मध्य व लगती हुई भूमि है) का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ इस शर्त पर किया जाना प्रस्तावित है कि मौके पर विद्यमान 33 के.वी. एच.टी.लाईन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवाई जावेगी अन्यथा एच.टी.लाईन से निर्धारित सुरक्षित दूरी को नो कन्स्ट्रक्शन जोन के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)		
11 154.11	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित आवासीय (फ्लेट्स) क्षेत्रफल 2907.3 वर्गमीटर को निलामी में किये गये बेचान के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण का परीक्षण कर पुनः कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
12 154.12	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-249, के नियतिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-249 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
13 154.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1213 रकबा 0.51 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि अर्थात् 8300.00 वर्गमीटर में से सैक्टर व्यावसायिक पट्टी कुल 3397.50 वर्गमीटर को छोड़ते हुये एवं 60 मीटर सडक सीमा में निहित होने वाली 2412.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त शेष 2490.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (स्थानीय बाजार) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रदीप रायमलानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1213 रकबा 0.51 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि अर्थात् 8300.00 वर्गमीटर में से सैक्टर व्यावसायिक पट्टी कुल 3397.50 वर्गमीटर को छोड़ते हुये एवं 60 मीटर सडक सीमा में निहित होने वाली 2412.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त शेष 2490.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (स्थानीय बाजार) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

57

क्रमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2010 / डी-3887
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

52

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 154वीं बैठक दिनांक 16.08.10 को प्राप्त 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के समान कक्षा मंथन में श्री सुधाश पट, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र.सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	पता	पदनाम
1	श्री सुधाश पट	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए. शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री हमीद खान	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एच.एस. शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री आर.पी. दोराजा	निदेशक (अभियंत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री डी.सी. जवंका	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एस.के. पटेल	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
8	श्री शकी मोहम्मद कुरैशी	अति आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9	श्रीमती सुवी शर्मा	अति आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री आकिर हुसैन	अति निदेशक (सजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री नरेन्द्र सिंह	उपआयुक्त जॉन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री बी.एल. गोयल	उपआयुक्त जॉन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपआयुक्त जॉन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री टी.सी. शर्मा	उपआयुक्त जॉन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री राजेश जैन	उपआयुक्त जॉन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री टी.अरविन्द	एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्रीमती नर्बदा इन्दोरिया	ऑफिसरी (टीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर